भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 936

उत्तर देने की तारीख- 09/02/2022

जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए परियोजना निगरानी इकाइयां

936. श्री शमशेर सिंह ढुलो:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

श्री आनन्द शर्मा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि?

(क) क्या नवंबर 2021 में सरकार द्वारा यथा घोषित जनजातीय कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्यों में कोई केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय और राज्य दोनों इकाइयों के लिए आज की तारीख में इस पहल के लिए निधियों के आवंटन, संवितरण और उपयोग की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने केन्द्र और राज्य की निगरानी इकाइयों के काम करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करता है। मंत्रालय में पिछले कुछ वर्षों में एक प्रमुख कार्यनीतिक बदलाव हुआ है और विभिन्न योजनाओं के तहत जारी निधियों की वास्तविक और वित्तीय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं के समग्र (एंड टू एंड) डिजिटलीकरण के साथ योजना विशिष्ट पोर्टल विकसित किया है।

मंत्रालय को राज्यों में पीएमयू स्थापित करने के लिए सरकार की विशिष्ट घोषणा के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि, नीति आयोग ने डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स शुरू किया है जो डेटा-आधारित गवर्नेंस पर विभिन्न मंत्रालयों का मूल्यांकन करता है और मंत्रालयों/विभागों की केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए मंत्रालय में डेटा और कार्यनीति इकाइयां स्थापित करने की सलाह सभी मंत्रालयों को दी है।

14वें वित्त चक्र तक (2016-17 से 2020-21 तक) योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासनिक लागत के रूप में योजना के 1-2% तक की रेंज में राशि दी गई थी। 15वें वित्त आयोग (2021-22 से 2025-26) हेतु अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र योजना को जारी रखने की मंजूरी देते हुए, मंत्रालय की संयुक्त योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना के लिए निधियाँ उपलब्ध करायी गयी है। केंद्रीय पीएमयू की स्थापना सहित "निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण और सामाजिक आकलन (सोशल ऑडिट)" योजना के तहत भी धनराशि निर्धारित की गई है। केंद्रीय पीएमयू की भूमिका विभिन्न योजनाओं के संबंध में डाटा प्रदान करने के लिए राज्य यूनिटों के साथ समन्वय करना है।

*****